(125)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1629–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–5–16 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 103/विविध/2014–15.

श्री कलोता समाज कल्याण ट्रस्ट
तर्फे अध्यक्ष दयाराम परिहार
पता ग्राम बरोदा पंथ
तहसील देपालपुर जिला इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

बद्रीलाल पिता हरीसिंह कलोता
निवासी ग्राम जलोदिया पंथ
तहसील देपालपुर जिला इंदौर ..... अनावेदक

श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0बी0 सिंह, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/6/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक बद्रीलाल द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के मूल प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 14–8–2015 के पुनर्विलोकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–9–2015 को प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित संहिता की धारा 32 एवं 43 के अंन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–5–2016 को आदेश पारित करते

हुए आवेदक द्वारा ली गई आपत्ति एवं वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के आलोक में अपर कलेक्टर के प्रकरण कमांक 01/अ–3/2010–11 में एक माह के अन्दर प्रतिवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के इसी आदेश के विरूद्ध यह **निगरानी इस** न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि संहिता की धारा 49 के अन्तर्गत अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार केवल अपीलीय न्यायालय को प्राप्त है, संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत अपर आयुक्त को प्राप्त नहीं है । अतः इसी कारण आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि की गम्भीर भूल की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त को केवल पुनर्विलोकन प्रकरण में पुनर्विलोकन के आधारों के संदर्भ में मूल प्रकरण पर विचार करना है, उनके द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य नहीं ली जा सकती है । अतः अपर आयुक्त द्वारा की जा रही कार्यवाही क्षेत्राधिकार बाह्य कार्यवाही है, इसलिए अपर आयुक्त द्वारा की गई कार्यवाही निरस्त की जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में मूल आदेश के पुनर्विलोकन की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह आधार भी लिया गया है कि अपर आयुक्त द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवेदन मांगा गया है, जो कि पूर्णतः न्यायिक एवं विधिसंगत कार्यवाही है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा पुनर्विलोकन प्रकरण में पूर्व में राजस्व मण्डल में चले निगरानी प्रकरण में राजस्व मण्डल के अतिरिक्त साक्ष्य लेने के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में ही प्रतिवेदन मांगा गया है । अपर आयुक्त के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि वे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका कमांक

7352/14 में पारित आदेश दिनांक 1–5–2015 के परिप्रेक्ष्य में अपने पूर्व आदेश दिनांक 14–8–2015 को पुनर्विलोकन में लेकर पुनर्विलोकन ग्राह्य कर मूल प्रकरण में नये सिरे से सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होनें से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–5–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर